

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिबेक कुमार जायसवाल उर्फ विवेक कुमार जायसवाल

बनाम

शबनम जायसवाल उर्फ सबनम जायसवाल

2020 की विविध अपील संख्या 143

02 सितम्बर 2025

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता-पति ने यह साबित किया कि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह विच्छेद को उचित ठहराया जा सके?

क्या अपीलकर्ता-पति ने यह साबित किया कि प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 13(1)(ib) के तहत बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़ दिया था?

क्या पारिवारिक न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर वैवाहिक (तलाक) याचिका को खारिज करने में गलती की?

हेडनोट्स

तलाक - क्रूरता और परित्याग के आधार - विशिष्ट घटनाओं को साबित करने में विफलता - जहाँ पति क्रूरता या परित्याग के कोई विशिष्ट उदाहरण या तिथियाँ स्थापित करने में विफल रहा हो, और आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हों, वहाँ तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता।

क्रूरता - मानसिक क्रूरता - साक्ष्य का भार याचिकाकर्ता पर - क्रूरता साबित करने का भार तलाक चाहने वाले याचिकाकर्ता पर है। कभी-कभार होने वाले झगड़े, वैवाहिक जीवन में सामान्य टूट-फूट, या तकरार की छिटपुट घटनाएँ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत क्रूरता नहीं मानी जाती।

परित्याग - दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु कोई याचिका नहीं - याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुमान - जब याचिकाकर्ता-पति ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर नहीं की थी, तो इससे सहवास फिर से शुरू करने और वैवाहिक संबंध जारी रखने के सद्भावपूर्ण इरादे का अभाव प्रदर्शित होता है।

अपीलीय हस्तक्षेप - पारिवारिक न्यायालय द्वारा तथ्यों का निष्कर्ष - उच्च न्यायालय को,

अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, पारिवारिक न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों, साक्ष्य के गलत मूल्यांकन पर आधारित न हों, या कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध न हों।

विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन - वैधानिक आधार नहीं - केवल विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन का आरोप ही तलाक का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार क्रूरता या परित्याग सिद्ध न हो जाए।

न्याय दृष्टान्त

एआईआर 1975, 1534, 2007 (4) एससीसी 511, (2008) 10 एससीसी 497

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

क्रूरता; परित्याग; हिंदू विवाह अधिनियम; पारिवारिक न्यायालय; तलाक की अपील; मानसिक क्रूरता; साक्ष्य का भार; वैवाहिक विवाद; बांझपन; दूसरा विवाह; अपूरणीय विच्छेद; दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना

प्रकरण से उत्पन्न

प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सुपौल द्वारा वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 21/2015 में दिनांक 18.01.2020 को पारित निर्णय और डिक्री से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री कमल किशोर सिंह

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री उदय चंद प्रसाद

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता कानून के तहत अपेक्षित क्रूरता या परित्याग साबित करने में विफल रहा। पारिवारिक न्यायालय ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया और तलाक की याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय, सुपौल द्वारा दिनांक 18.01.2020 को पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2020 की विविध अपील संख्या 143

=====

बिबेक कुमार जैसवाल उर्फ विवेक कुमार जैसवाल, पिता - सत्यदेव चौधरी, निवासी - गाँव
कुमारगंज, पी.ओ.- थरबिता, थाना - किशनपुर, जिला - सुपौल

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

शबनम जायसवाल उर्फ शबनम जायसवाल, पति- बिबेक कुमार जायसवाल @ विवेक कुमार
जायसवाल, पिता - सूर्य नारायण जैसवाल, निवासी- गांव-दौलतपुर, थाना - राघोपुर, जिला-
सुपौल, वर्तमान में सी/ओ बिबेक कुमार जायसवाल, निवासी मोहल्ला - लोहियानगर, वार्ड संख्या
9, थाना - सुपौल, जिला - सुपौल।

..... प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री कमल किशोर सिंह

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री उदय चंद प्रसाद

=====

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

दिनांक - 02-09-2025

पक्षकारों को सुना।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के
तहत दायर की गई है, जिसमें 2015 के वैवाहिक (विच्छेद) मामले संख्या 21 में विद्वान प्रधान
न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सुपौल द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को आक्षेपित किया गया
है, जिसके तहत अपीलकर्ता विवेक कुमार जायसवाल द्वारा विवाह भंग करने की मांग करने वाले

वैवाहिक मुकदमे को खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी का मामला पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार यह है कि प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह हिंदू रीति-रिवाज और संस्कारों के अनुसार 01.03.2000 को संपन्न किया गया था। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के घर आयी और वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे। विवाह संपन्न हो गया था, हालांकि विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। विवाह के बाद प्रत्यर्थी ने अपने असामान्य मासिक धर्म चक्र के बारे में बताया और संभोग के दौरान उसने अपने पेट में तीव्र दर्द की शिकायत की और कहा कि उसे पिछले दो वर्षों से दर्द हो रहा है, उसके बाद अपीलार्थी ने अपने सास-ससुर से डॉक्टर से परामर्श करने का अनुरोध किया और तदनुसार प्रत्यर्थी की पटना में डॉ. डी. सिंह द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई, जिन्होंने जांच के बाद खुलासा किया कि यह सर्जरी का मामला है क्योंकि अंडाशय के नाल पर सिस्ट विकसित हो गया है। आगे का मामला यह है कि जून, 2008 में, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को उसके भाई के साथ पटना ले गया और 23 जून, 2008 को प्रत्यर्थी की सर्जरी हुई और नवंबर, 2008 में प्रत्यर्थी को उल्टी होने लगी और उसके बाद अपीलार्थी ने किशनपुर अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श किया और उसके बाद डॉ. नारायण कुमार दास, सुपौल से तथा अंत में प्रत्यर्थी का डॉ. ए. के. वर्मा से इलाज चल रहा था, जिन्होंने आंतों में गड़बड़ी पाया और सर्जरी की सलाह दी और दूसरी सर्जरी डॉ. मोतीलाल सिंह द्वारा पी.एम.सी.एच.पटना में की गई। आगे का मामला यह है कि इसके बाद प्रतिवादी को और शारीरिक जटिलताएं हुई और प्रतिवादी का कई स्थानों पर इलाज किया गया और प्रतिवादी को योग गुरु रामदेव के शिविर में भी भेजा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रतिवादी को डॉ. ए. आई. हई की आपातकालीन इकाई में भी स्थानांतरित किया गया और कुछ समय के लिए प्रतिवादी को आई. सी. यू. में रखा गया और प्रतिवादी को बांझपन केंद्र, सिल्लीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में भी ले जाया गया। आगे का मामला यह है कि 12 वर्ष बीतने के बावजूद, प्रत्यर्थी की कोई गर्भावस्था नहीं है और अपीलार्थी के नपुंसक होने का आरोप लगाया गया और नपुंसकता के आरोप के कारन अपीलार्थी को गंभीर मानसिक चिंता होने लगी क्योंकि यह एक झूठा आरोप था। आगे का मामला यह है कि 2008 से 2014 तक प्रतिवादी का इलाज चल रहा था और प्रतिवादी का व्यवहार सामान्य नहीं था और वह अपीलार्थी को दाँत काटती, थप्पड़ मारती थी और अपमानजनक भाषाओं आदि का उपयोग करके जोर से रोने लगती आदि थी। 26.06.2014 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों को प्रजनन चिकित्सा संस्थान, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में भर्ती कराया गया था। अपीलार्थी ने प्रजनन

विक्षेपण के लिए खुद को प्रस्तुत किया जहां शुक्राणु की रैखिक गति सक्रिय रूप से अच्छी पाई गई। अपीलार्थी को उपरोक्त प्रक्रिया में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालाँकि, अपीलार्थी के दर्द और दुःख को समझने के बजाय, प्रतिवादी ने उस पर संयुक्त परिवार की संपत्ति से अपने हिस्से को विभाजित करने और उसे उसके पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को 5,00,000/- रुपये हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया, जिसे उसने उसके पिता को सौंप दिया और उसके नाम पर सिमराही बाजार में जमीन के एक टुकड़े के लिए एक बिक्री विलेख पंजीकृत कराया। प्रत्यर्थी ने किरायेदार को बेदखल करके लोहिया नगर, सिमराही में एक फ्लैट पर जबरन कब्जा कर लिया और अपीलार्थी को धमकी भी दी। प्रत्यर्थी ने बिना उचित कारण के और सहमति के अपीलार्थी को छोड़ दिया है और अपीलार्थी की कमाई को छीन लिया है और अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को उपहार में दिए गए सभी आभूषणों को गलत उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी के माता-पिता को सौंप दिया गया है। प्रत्यर्थी का विवाह अपीलार्थी के साथ झूठे अभ्यावेदन और धोखाधड़ी से संपन्न किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता को प्रत्यर्थी की यौन और प्रजनन अक्षमता के बारे में जानकारी थी, और अब विवाह के 15 वर्षों के बाद जब प्रत्यर्थी को गर्भ धारण और प्रजनन अक्षमता के बारे में पता चला, तो वह अपीलार्थी के खिलाफ हिंसक हो गई है और अपीलार्थी का जीवन दयनीय बनाते हुए उसके साथ दुर्यवहार और उसे प्रताड़ित करने लगे। पिछले 15 वर्षों से, अपीलार्थी ने प्रतिवादी के साथ सहिष्णुता के साथ व्यवहार करने के लिए खुद को समर्पित किया है। अपीलार्थी को उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच वैवाहिक संबंध पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन को फिर से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए, दोनों पक्षों के बीच विवाह विच्छेद के लिए तलाक याचिका दायर की गई।

4. समन/नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी उपस्थित हुई और अपना लिखित बयान दायर किया। अपने लिखित बयान में, उसने अपीलार्थी के दावे पर विवाद किया है और इनकार किया है। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि उसे दर्द हुआ था और उसके माता-पिता ने उसका इलाज कराया था। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि 2008 से 2014 तक उसने हमेशा अपीलार्थी के खिलाफ अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया। अपीलार्थी हमेशा पैसे की मांग करता था और गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करता था। प्रतिवादी के पिता ने प्रत्यर्थी के पक्ष में एक बिक्री विलेख पंजीकृत कराया, जो प्रत्यर्थी के भाई के नाम से पंजीकृत था ताकि

अपीलार्थी चुप रहे लेकिन उसके बाद भी, अपीलार्थी खुश नहीं था। प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने सुपौल में एक फ्लैट पर जबरन कब्जा कर लिया है और अपीलार्थी को छोड़ दिया है, इसके बजाय *पंचायती* होने के बाद, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी का एक कमरा रहने के लिए दिया गया, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के सभी सामान छीन लिए और उसे सुपौल में रहने के लिए मजबूर किया और इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ रह रही है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ 12.03.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 498 (ए) और अन्य प्रावधानों के तहत 2015 का शिकायत वाद संख्या 204 सी दायर किया है। प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के कुकर्मों के कारण, वह किसी बीमारी से संक्रमित हो गई है जो डॉक्टर के उपचार के बाद ठीक हो गई है और यह कहना गलत है कि यह प्रत्यर्थी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है और प्रत्यर्थी ने कभी क्रूरता नहीं दिखाई है और अपीलार्थी को नहीं छोड़ा है। प्रतिवादी का आगे का मामला यह है कि तलाक की याचिका में तलाक का कोई भी आधार विशेष रूप से नहीं बनाया गया है और तलाक की याचिका अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और खर्च के साथ इसे खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. मुकदमे के समापन के बाद, परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी ने अपना मामला साबित नहीं किया है और तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

6. इसके बाद, 2015 के वैवाहिक (तलाक) मामला संख्या 21 में विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय अपीलार्थी के प्रति क्रूरता का मूल्यांकन करने में विफल रहा है। प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता ने इस तथ्य को छुपाया कि प्रत्यर्थी को उसके अंडाशय में जटिलताएं हैं और इस कमी के कारण, वह गर्भधारण नहीं कर सकती है। विवाह के बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी का कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और विवाह के 15 वर्षों के बाद, वह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो गई। प्रत्यर्थी एक झगड़ातू महिला है और हमेशा अपीलार्थी और उसके ससुराल वालों के साथ बिना किसी उचित कारण के लड़ती थी। प्रत्यर्थी ने अपने भाई के जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए भी दबाव डाला, जिसके लिए

अपीलार्थी ने रु 5 लाख दिया और प्रत्यर्थी के पक्ष में बिक्री विलेख पंजीकृत कराया। प्रत्यर्थी ने किरायेदार को बेदखल करके सिमराही के लोहिया नगर में अपीलार्थी के फ्लैट पर भी जबरन कब्जा कर लिया। अपीलार्थी यह भी आरोप लगाता है कि प्रत्यर्थी अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं हैं और उसने लंबे समय तक अपीलार्थी को छोड़ दिया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये मुद्दे यह कहने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी को पारिवारिक दायरे में अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और ये मुद्दे मानसिक यातना के दायरे में आते हैं और प्रतिवादी-पत्नी के द्वारा क्रूरता का परिचायक है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री न्यायसंगत, वैध और कानून के अनुरूप है। विद्वत विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया है और अपीलार्थी-पति की ओर से दायर मुकदमे को उचित रूप से खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने स्वयं प्रत्यर्थी को 2 कट्ठा जमीन पूरी न होने के कारण उसे ससुराल से निष्कासित कर दिया, और अब उसने पहली शादी को भंग किए बिना सुभाष कुमार चौधरी की बेटी आरती कुमारी से दूसरी शादी कर ली है।

9. अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) क्या अपीलार्थी अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

10. अपीलार्थी ने क्रूरता और त्याग के आधार पर विवाह के विघटन के लिए 2015 के वैवाहिक (तलाक) मामले संख्या 21 में तलाक के लिए प्रार्थना की है।

11. जहां तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता, चरित्र और आचरण की ऐसी स्थिति है जो जीवनसाथी के मन में इस आशंका का कारण उत्पन्न करता है कि विपक्षी-प्रतिवादी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदायक होगा।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले, जो

2007 (4) एस. सी. सी. 511 में सूचित किया गया है, मैं अपना मत व्यक्त दिया कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और अत्यधिक होनी चाहिए। अधिक सामान्य चिड़चिड़ापन, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य मतभेद जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

13. इस संदर्भ में, हम नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने के मामले में निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए सुनहरे अवलोकन को उद्धृत करना चाहते हैं, जो ए. आई. आर. 1975,1534 में सूचित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हालांकि धारा 10 (1) (बी) के तहत, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या खतरनाक होगा, उचित होनी चाहिए, इस तरह की आशंका के संदर्भ को छोड़कर, एक उचित व्यक्ति की अवधारणा के लिए जो वैवाहिक संबंधों के निर्णय की लापरवाही के कानून के लिए जाना जाता है, यह गलत है। पति-पत्नी से निस्संदेह यह माना जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम का यथासंभव सर्वोत्तम संचालन करें, लेकिन यह वैवाहिक जीवन के तौर-तरीकों पर दर्शन के प्रति क्रूरता के आरोप में अदालत का कोई कार्य नहीं है। हो सकता है कि किसी को दिन का काम देर से पूरा करना पड़े और किसी को गोल्फ खेलने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़े। अदालत इनकी आदतों या शौक पर यह परीक्षण लागू नहीं कर सकती कि क्या एक समान रूप से स्थित एक समझदार व्यक्ति इसी तरह का व्यवहार करेगा। "यह सवाल कि क्या दुर्व्यवहार की शिकायत क्रूरता का गठन करती है और तलाक के उद्देश्यों के लिए ऐसा मुख्य रूप से कृत्यों की शिकायत करने वाले विशेष व्यक्ति पर इसके प्रभाव से निर्धारित होता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आचरण एक उचित व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदना वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर वह प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, उसे दूसरे द्वारा हँसा जा सकता है, और जो परिस्थितियों के एक समूह के तहत एक व्यक्ति के लिए क्रूर नहीं हो सकता है, वह परिस्थितियाँ दूसरे समूह के तहत अत्यधिक क्रूरता हो सकती हैं।" न्यायालय को एक

आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) के सम्बन्ध में नहीं, बल्कि उसके समक्ष के विशेष पुरुष और महिला के सम्बन्ध में सोचना और तय करना होता है। आदर्श युगल या एक निकट-आदर्श व्यक्ति के पास शायद वैवाहिक अदालत में जाने का कोई अवसर नहीं होगा, भले ही वे अपने मतभेदों को आकर्षित करने में सक्षम न हों, उनका आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी दोषों और विफलताओं को नजरअंदाज करने या छिपाने में मदद कर सकता है।

14. मुकदमे के दौरान, अपीलार्थी की ओर से कुल चार गवाहों से पूछताछ की गई है जिनमें अ.सा.-1, विवेक कुमार जयसवाल (अपीलार्थी), अ.सा.-2, जानकी देवी, अ.सा.-3, सुधा जयसवाल और अ.सा.-4, प्रमोद कुमार चौधरी शामिल हैं।

15. अपीलार्थी ने निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अभिलेख पर लाया है।

प्रदर्श -1 वाद संख्या 204 सी/2015 की शिकायत याचिका की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श- 1/A वाद संख्या 646 सी/2015 की शिकायत याचिका की प्रमाणित प्रति।

प्रदर्श- 2 वाद संख्या 204 सी/2015 के दिनांक 1-02-2016 के आदेश की प्रमाणित प्रति।

16. प्रतिवादी ने भी छह गवाहों से पूछताछ की है जो वि.सा.-1, शबनम जैसवाल (प्रतिवादी) वि.सा.-2, शेख अब्दुल मजीद, वि.सा.-3, रमन कुमार जैसवाल, वि.सा.-4, सूर्यनारायण जैसवाल, वि.सा.-5, ब्रजभूषण जैसवाल और वि.सा.-6, सत्यनारायण चौधरी हैं।

17. प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे।

निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अभिलेख पर लाया है।

प्रदर्श -1 वाद संख्या 204 सी/2015 की शिकायत याचिका की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श- 1/A वाद संख्या 646 सी/2015 की शिकायत याचिका की प्रमाणित प्रति।

प्रदर्श- 2 वाद संख्या 204 सी/2015 के दिनांक 1-02-2016 के आदेश की प्रमाणित प्रति।

18. पूरे साक्ष्य में क्रूरता और इस मामले को दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण के संबंध में घटना की कोई विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष इसका उल्लेख किया है। विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा 9 में भी यही तथ्य बताया गया है जो इस प्रकार है:

“सुविधा के लिए मैं पहले इस मुद्दे को उठाता हूं। तलाक याचिका के

अवलोकन से और याचिकाकर्ता विवेक कुमार जायसवाल (अ.सा.-1) के मुख्य परीक्षण से भी यह प्रतीत होता है कि न तो तलाक याचिका में और न ही अपने साक्ष्य में याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के कारण के बारे में उन तथ्यों के बारे में कहा है जिसके कारण तत्काल मुकदमा दायर किया गया और न ही उस तारीख के बारे में बताया है जिस पर यह उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता के पास मुकदमा करने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मुद्दे का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

19. अपीलार्थी-पति की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य के बल पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता के प्रमाण का भार इस मामले के अपीलार्थी-पति पर है, क्योंकि उसने अपने प्रति प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक द्वारा राहत मांगी है। परिवार न्यायालय के समक्ष शिकायत में कथित क्रूरता की विशिष्ट तिथि के संदर्भ में एक भी घटना का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा, कथित रूप से कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का उपयोग कभी-कभी पति और पत्नी के दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी से बदला लेने के लिए कर सकता है। ऐसा होता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए एक उचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता है। कुछ तुच्छ बयान या टिप्पणी या केवल एक पति या पत्नी को दूसरे को धमकी देने को क्रूरता की डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके की कठोरता और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े, जीवन के अलग-अलग मानकों में रहने वाले, अपनी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में अपनी स्थिति रखने वाले व्यक्ति से अलग हो सकती है जिसमें वे रहते हैं।

20. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, अत्यल्प, प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार की डिक्री जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

21. जहाँ तक त्याग के आधार का संबंध है, यह अपीलार्थी-पति के साक्ष्य में आया है कि प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह 01.03.2000 को संपन्न किया गया था। शादी के

बाद, उसे पता चला कि प्रतिवादी एक झगड़ातू महिला है और वह हमेशा अपीलार्थी और अन्य ससुराल वालों के साथ झगड़ा करती थी। अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने स्वयं अपीलार्थी को छोड़ दिया, हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा त्याग की कोई विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि तलाक के मामले में लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रत्यर्थी के खिलाफ त्याग के यह झूठा आरोप लगाया गया था। अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है जो आगे बताती है कि वह प्रतिवादी के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखने में रुचि नहीं रखता था। अब, प्रत्यर्थी द्वारा यह दावा किया जाता है कि अपीलार्थी ने पहली शादी के विघटन के बिना दूसरी शादी की है जो हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमेय नहीं है।

22. "जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एस. सी. सी. 497 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में शक्ति का प्रयोग कर रहा था और इसलिए यह न्यायालय के लिए न केवल कानून के प्रश्नों बल्कि तथ्य के प्रश्नों में भी प्रवेश करने के लिए खुला था। यह तय किया गया कानून है कि एक अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार एक अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय पूरे साक्ष्य का "मौखिक और दस्तावेजी" रूप से पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा कर सकता है और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आ सकता है।

25. हालाँकि, साथ ही, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मौखिक साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखे। यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारण न्यायालय के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर था और इसलिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान ही शक्तियां हैं, लेकिन उनका उपयोग उचित देखभाल, सावधानी और एहतियात के साथ किया जाना चाहिए। जब विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर दर्ज किया गया है, तो इसे तब तक हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य

के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण गलत न हो, जो सुस्थापित कानून के सिद्धांत के विपरीत या अनुचित है।

23. इसलिए, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जो आक्षेपित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देता है। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलार्थी के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

24. आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।